

राजस्थान सरकार  
राजस्थान आयुर्वेद नर्सिंग परिषद, जयपुर  
(आयुष भवन, कमरा नं० 314-15, सेक्टर-26, प्रताप नगर, जयपुर-302033)  
E-mail: rancjaipur2012@gmail.com दूरभाष नं-0141 2796295

क्रमांक : 5448


दिनांक: 22-01-2021

डिप्लोमा इन आयुष नर्सिंग एण्ड फॉर्मैसी पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु रिकाउंसलिंग, काउंसलिंग एवं रिसफलिंग (संस्था फेरबदल) की सूचना

राजस्थान आयुर्वेद नर्सिंग परिषद, जयपुर से मान्यता/सम्बद्धता प्राप्त आयुर्वेद नर्सिंग प्रशिक्षण केन्द्रों में विद्यार्थियों के शैक्षणिक सत्र 2020-21 के प्रवेश हेतु ऑफलाइन रिकाउंसलिंग एवं रिसफलिंग (संस्था फेरबदल) परिषद कार्यालय में प्रातः 10:00 बजे से निम्नानुसार आयोजित की जावेगी।

क्र. सं.	पाठ्यक्रम का नाम	दिनांक
1	डिप्लोमा इन आयुष नर्सिंग एण्ड फॉर्मैसी (DAN&P)	दिनांक 01.02.2021 :- (दिनांक 8-9 जनवरी 2021 को आयोजित काउंसलिंग में भाग लेने से वंचित रहे छात्रों की रिकाउंसलिंग एवं प्रवेशित छात्रों की रिसफलिंग) दिनांक 02.02.2021 :- (नवीन इच्छुक अभ्यर्थियों के प्रवेश हेतु काउंसलिंग)


- काउंसलिंग एवं रिकाउंसलिंग में भाग लेने हेतु 10,000/-रुपये का डिमांड ड्रॉफ्ट जो "रजिस्ट्रार, राजस्थान आयुर्वेद नर्सिंग कौंसिल, जयपुर" के नाम देय हो, साथ लाना आवश्यक होगा। प्रवेश लेने के बाद यह शुल्क रिफण्डेबल नहीं होगा।
- काउंसलिंग के समय अभ्यर्थी को मूल दस्तावेज मय छांया प्रति साथ लाने होंगे।
- अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र 01 अप्रैल, 2020 से पूर्व का नहीं होना चाहिए।
- रिकाउंसलिंग के पश्चात् रिक्त सीटों पर नवीन छात्रों की काउंसलिंग की जावेगी।
- आवेदन फार्म व अन्य सूचना निदेशालय आयुर्वेद विभाग राजस्थान-अजमेर की वेबसाईट <http://ayurved.rajasthan.gov.in> पर उपलब्ध है।
- एस.सी./एस.टी. छात्र, 600/-रुपये का, अन्य छात्र 1200/-रुपये का डी.डी. आवेदन के साथ संलग्न करें।

  
(रजिस्ट्रार)

राजस्थान सरकार  
राजस्थान आयुर्वेद नर्सिंग परिषद, जयपुर  
(आयुष भवन, कमरा नं० 314-15, सेक्टर-26, प्रताप नगर, जयपुर-302033)  
E-mail: ranciaipur2012@gmail.com दुरभाष: 0141-2796295

फीस के नियम

1. काउंसलिंग/रिकॉउंसलिंग के समय प्रत्येक विद्यार्थी को "रजिस्ट्रार, राजस्थान आयुर्वेद नर्सिंग कौंसिल, जयपुर" के नाम 10,000/रूपये (अक्षरे: दस हजार रुपये मात्र) का डिमाण्ड ड्राफ्ट जमा कराने पर ही उसकी सीट सुरक्षित मानी जावेगी।
2. प्रवेश के बाद फीस की राशि का शेष भाग दिनांक 10.02.2021 तक सम्बंधित नर्सिंग संस्था में जमा कराना अनिवार्य होगा, अन्यथा काउंसलिंग के समय जमा की गई 10,000/- की राशि पुनः नहीं लौटायी जायेगी।
3. यदि किसी भी छात्र/छात्रा द्वारा काउंसलिंग के पश्चात् सम्बंधित महाविद्यालय/संस्थान/प्रशिक्षण केन्द्र में फीस जमा नहीं कराई जाती है अथवा फीस जमा कराने के बाद कभी भी आवेदन निरस्त कराया जाता है तो परिषद् कार्यालय में जमा कराई गई राशि रुपये 10,000/-में से कोई भी भाग सम्बंधित को नहीं लौटाया जायेगा।
4. दिनांक 15.12.2020 तक आवेदनकर्त्ताओं की दिनांक 01.02.2021 को रिकॉउंसलिंग करने के उपरान्त नवीन इच्छुक अभ्यर्थियों की काउंसलिंग करवाई जा सकेगी।
5. जिन अभ्यर्थियों ने निर्धारित तिथि को फॉर्म जमा करवा दिये है उनकी रिकॉउंसलिंग होने के उपरान्त प्रवेश इच्छुक नवीन अभ्यर्थियों को दिनांक 02.02.2021 को डिप्लोमा इन आयुष नर्सिंग एण्ड फार्मसी की काउंसलिंग में भाग लेने हेतु, उपरोक्त काउंसलिंग शुल्क 10,000/- रुपये का डी.डी. के साथ मय आवेदन शुल्क राशि (600/-रुपये का डी.डी. sc/st के लिए तथा 1200/-रुपये का डी.डी., सामान्य/OBC, आर्थिक पिछड़ा वर्ग व अन्य के लिए) भी जमा करवाना अनिवार्य होगा तथा उपरोक्त दोनों प्रकार के डी.डी. पृथक-पृथक से बनवाकर प्रस्तुत करने होंगे।

भवदीय  
  
(डॉ.कमल चन्द्र शर्मा)  
रजिस्ट्रार